

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(17)एमई / ग्रुप-1 / 2012


जयपुर, दिनांक : 8 JUL 2016

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर अस्थि रोग विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति पर चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेगा :-


क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नत पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. बी.एल. चौपडा	सह आचार्य	आचार्य	01.4.2014
2.	डॉ. एम.के. आसेरी	सह आचार्य	आचार्य	01.4.2014
3.	डॉ. सुधीर कुमार	सह आचार्य	आचार्य	01.4.2014
4.	डॉ. पंकज जैन	सह आचार्य	आचार्य	01.4.2015
5.	डॉ. देवकान्त मीणा	सह आचार्य	आचार्य	01.4.2015
6.	डॉ. रामप्रसाद मीणा	सह आचार्य	आचार्य	01.4.2015

आदेश से,


(डी.एल. तवर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर।
7. सहायक प्रोग्रामर, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव